राजस्थान–सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर

क्रमाक:लेखा/निविदा/2018–19/ दिनांक:–

निविदा सूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से दिनांक 31.03.2019 तक के लिए संविदा पर डाटा एन्ट्री आपरेटर की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विर्निदिश्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जी.एस.टी., आयकर, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से खुली प्रतियोगी बोली से निविदाये अजमेर जिले के कार्यालयों में जिसमें NEGP-A योजनान्तर्गत उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि0प0 अजमेर हेतु दो ,सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अजमेर, ब्यावर, केकड़ी प्रत्येक हेतु एक–एक एवं सहायक निदेशक उद्यान अजमेर हेतु एक डाटा एन्ट्री आपरेटर (कुल–6) हेतु सीमित बोली पद्वति से आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:–

क्र सं.	कार्यालय का नाम	संविदा पर डाटा एन्ट्री आपरेटर संख्या	अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू.)	निविदा विक्रय करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी–वित्तीय) खोलने की दिनांक व समय
1	संविदा पर डाटा एन्ट्री आपरेटर	6	420000	8400	200/	10.09.2018 समय 12.30 PM	10.09.2018 02.00 PM	11.09.2018 11.00 AM

1. निविदा आमंत्रण सूचना, मुख्य शर्ते , विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर (कार्यालय समय पर) व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp. rajasthan.gov.in एवं विभाग की वेब साईट पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रतिभूति राशि डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ' उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर 'के नाम बनाना होगा। जिसे तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 10.09.2018 को अपरान्हः 2.00 बजे तक जमा कराना होगा।
3. निविदाये , **तकनीकी निविदा प्रपत्र** तथा **वित्तीय बोली** प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफो पर नामाकंन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वित्तीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेंगी।
4. तकनीकी – वित्तीय/क्वालिफाईड बिड दिनांक 11.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय में उपस्थित बोलीदाता/ संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की वित्तीय बोली उसी दिन खोली जायेगी।
5. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद् अजमेर

क्रमांक – उनिकृ/लेखा/निविदा/2018–19/3956-61 दिनांक 31.8.18

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार कृषि आयुक्तालय जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि जयपुर खण्ड जयपुर।
3. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट **www.krishi.rajasthan.gov.in** पर उक्त निविदा अपलोड करावें।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
5. लेखा शाखा/भण्डारपाल कार्यालय हाजा।

(वी. के. शर्मा)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद अजमेर

1/pky /tender/disk

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1.निविदा शुल्क 200/ ड्राफ्ट नं.................................... दिनांक................. बैंक.........................

2.प्रतिभूति राशि 8400/रू ड्राफ्ट नं.................................. दिनांक................. बैंक.........................

3. निविदा जारी करने की अंतिम दिनांक व समय दिनांक 10.09.2018 समयः–12.30 बजे PM

4.बोलीदाता/संवेदक का नाम ————————————————

5.डाक का पता ——————————————————————————

6.फोन/ मोबाईल नं.————————————

7.ई–मेल ——————————————————————

8.बैंक का नाम ——————————————————

IFSC Code ....

खाता संख्या——————————————————————————

9.बोलीदाता/ संवेदक द्वारा निम्नलिखित आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज प्रतिलिपी संलग्न है

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	GST				
5	आय कर पैन नम्बर,				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 **या** इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

10. बोलीदाता /संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष [2015-16] 2016–17 व 2017–18, में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए /बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/ बैंकों में न्यूनतम कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार

निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगाना होगाः—

क्र.सं.	विभाग /संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित कार्मिक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				

11.बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3वित्तीय वर्ष [2015-16, 2016-17 व 2017—18, में से किसी एक वित्तीय वर्ष में का चार्टट अकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड विवरण पत्र /बैंलेंस सीट/आयकर रिर्टन प्रति/ कम्प्यूटेशन ऑफ इनकम PL A/C प्रति प्रस्तुत कराने की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है ।

12.प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर** के नाम के पक्ष में बनाना होगा। निविदा पत्र मय प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक को दिनांक 10.09.2018 को अपरान्हः 2.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

13.मै/हम **उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर** द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक .... **दिनांक** .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर

वित्तीय बोली/ प्राईस बिड

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी:–

संवेदक को नाम:–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको कों देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा। मय सं.				**EPF** दर प्रतिशत	**ESI** दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि रू.
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दर (प्रति माह प्रति ईकाई रू.)	श्रमिकों की सं.	राशि (प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.)	13.15	4.75	प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.	प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संविदा पर डाटा एन्ट्री आपरेटर **Without Machine**	उच्च कुशल	7358	6	7358	968/–	350/–		

उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ सं. 1 से 8 तक पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा की जाकर दस्तावेजों में ही अंकित का उपलब्ध कराई गई है। केवल स्तम्भ 9 से 10 तक बोलीदाता द्वारा राशि की प्रविष्टि की जावेगी। संवेदक की सर्विस चार्ज राशि शून्य या ऋणात्मक स्वीकार नहीं होगी।

वस्तु एवं सेवाकर (**GST**) राशि अतिरिक्त रू.से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताहर
मय मोहर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर

निविदा पत्र की मुख्य शर्ते

1.राजस्थान लोक उपनाम में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें तथा Annexure A,B,C&D की पूर्ति आवश्यक है।

2.न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।

3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक /बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सपूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भूगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के सांथ अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनूसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।

6.श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक /बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. संवेदक/ बोलीदाता को राज्य /केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., .ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक /बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक /बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियामानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक /बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

8.संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक / बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

9. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक /बोलीदाता का होगा।

10. संवेदक /बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर [GST] की राशि अतिरिक्त रूप से देय होंगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक /बोलीदाता की ही होगी। संवेदक /बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिर्वाय रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर [GST] की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक /बोलीदाता का होगा।

11.श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक /बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक /बोलीदाता एवं कार्य पर लगये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक /बोलीदाता की होगी । इसके लिये 'उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ,1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने ,नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

14.कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यदि संवेदक /बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक /बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा । उक्तनुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

17. कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या में कमी /वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित

संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त , निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

18. तकनीकी–वित्तीय बोली में सफल बोलीदातादओं /संवेदकों सें, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

19. अनुबंधित बोलीदाता / संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कारने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/ कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

20.इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत , निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी , यदि दर संविदा के अधीन कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके धटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

21. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली /प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

22. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

23. **जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी हेाने के 04 दिवस में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।**

24. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल /क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली /क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

25. बोंलियो का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

26. बोली प्रतिभूंति राशि 'उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर 'के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूती बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।

बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगाः–

क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख. **जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।**

ग. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता।

ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

अ. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिनं में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक 'उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् अजमेर 'के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय को 500/– राशि के नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब.सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य संम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

स. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

28.कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरन किया जा सकेगा

क. जब संविदा की शर्तों का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

29. भुगतान:–

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में **बिल तीन प्रतियों** में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

30. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि सें अधिक – 5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%

(घ)) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

31. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/सस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलगन करें।

32. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

33. डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार होगा ।

1. स्नातक या मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष योग्यता के साथ कम्प्यूटर परिचालन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स ।
2. कम्प्युटर का अच्छा ज्ञान (डाटा प्रासेसिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, ईमेल)
3. अग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में त्वरित एवं सटीक डेटा प्रविष्ठी का ज्ञान
4. कम से कम एक वर्ष का अनुभव

34.बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद या पूर्व आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी।

35.सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।

36.भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

37.समरत विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

38.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बलदने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।

39.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़ रद्दोबद्ध धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

40.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सदव्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।

41.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविधि /अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल–चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए। प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जॉबकार्य नहीं करने पर संवेदक /बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक ऑपरेटर) उपलब्ध करवायेगा।

42.प्रशिक्षित कार्मिक ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने शिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/ नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्निक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबकि अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।

43.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोडने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक ऑपरेटर) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।

44.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाद या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध निमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

45.प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

46. शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पूर्ण रूप से भरकर तकनिकी बिड से साथ लगाना आवश्यक है।

47.संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की फोटो सहित प्रार्थना पत्र/विवरण की छायाप्रतियां तकनिकी बिड से साथ आवश्यक रूप से लगायेगे।

48.संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक ऑपरेटर की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा।

क्र सं	प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	बिन्दु सं. 33 अनुसार प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6	

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

शपथ–पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैसर्स (संवदेक/निविदादाता नाम एवं पता) ....

....

शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. उपापन सूचना.. में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियां/दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं की गयी है।
3. निविदा प्रपत्र में मांगी गई विभिन्न प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न कर दी गई है। दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
4. मेरे/हमारे द्वारा राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

हस्ताक्षर

नाम :

पद :

संवेदक का नाम :

संवेदक का पूर्ण पता :